

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

निखाराम वनाम खिया वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 17/2025

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--

07/02/25 प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री मन्दिपानदीन चरण यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 198 R.T. Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/03/2025 को पेश हो।

27/03/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिग्गज कर्मों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 30/03/25 को पेश हो।

15/04/25 फ्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना फ्र वास्ते फ्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश किया। वादी वकील के प्रार्थना फ्र पर फ्रावली भ्रज पेशी पर ली गई। वादी वकील ने प्रार्थना फ्र वास्ते वाद विद्दो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिगण के बीच गांव के मौजिज लोगों ने रजिनामा करता दिया है। उक्त वाद हम आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि उक्त अनुदान के प्रकरण को विद्दो करने का आदेश फ्र भ्रज। वादी व वादी वकील के निवेदन को न्यायदिन में स्वीकार किया जाता है। उक्त अनुदान के वाद

निखाराम

(वादी वकील)



की करवाई उसी स्वर पर समाप्त की जाती है।
प्राक्ती कैसल गुमर होकर बाखिल स्वर हो।
संख्या से एक कम हो। X)